न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 61 / 2016

उनवान

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— वादी :– जरियें राज0 पैरोकार

बनाम

1. छोटू पुत्र गोकुल जाति बलाई निवासी ग्राम लवेरा, नसीराबाद (फौत)
2. कल्याण पुत्र बाला जाति गुर्जर निवासी ग्राम लवेरा, नसीराबाद
—— प्रतिवादीगण :– 2 जरियें अधिवक्ता श्री मौहम्मद जावेद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 22.3.20

तहसीलदार नसीराबाद ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामपुरा अहिरान प0म0 रामपुरा अहिरान में सिति भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

चौसाला जमाबंदी		वंर्किग जमाबंदी	
खसरा नम्बर	रकबा	खसरा नम्बर	रकबा
445	2–14'0	310 मिन	2–11–0
		308 मिन	0–1–10
		309 मिन	0–1–0
446	2–14–0	310 मिन	1–9–0
		311 मिन	1–2–0
		309 मिन	0–2–0
		312 मिन	0–1–0
447	2–6–10	311 मिन	2–2–10
		312 मिन	0–4–0

वंर्किग जमाबंदी		हाल जमाबंदी	
खसरा नम्बर	रकबा	खसरा नम्बर	रकबा
308	0.55	317	0.55
310	0.65	318	1.17
311	0.52	318 / 2064	0.08
312 मिन	0.77	319	0.77
309	0.53	321	0.53

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.10.14 16:30:31 IST
Reason: SelfAttested

आराजी चौसाला जमाबंदी में मूल खातेदार गोकुल पुत्र कन्ना व धूला पुत्र मोती के नाम दर्ज थी। गोकुल के पुत्र छोटू पुत्र गोकुल जो प्रतिवादी संख्या 1 है ने उक्त आराजी दिनांक 02.02.1970 को स्वयं का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 को बेचान कर दिया व धूला पुत्र मोती जो लाऔलाद फौत हो गया है ने अपना 1/2 हिस्सा दिनांक 08.10.1969 को प्रतिवादी संख्या 2 को बेचान कर दिया। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा एक वाद संख्या 42/2012 कल्याण बनाम छोटू दिनांक 14.02.12 को हाजा न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88, 188 व जमाबंदी का पेश कर चौसाला खसरा नम्बर 445, 446, 447 के हाल खसरा नम्बर 318 रकबा व 318/2064 रकबा 0.08 की खातेदारी चाही थी। उक्त वाद हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.15 को को खारिज कर तहसीलदार नसीराबाद को धारा 175 के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे। हाल खसरा नम्बर 318 रकबा 1.17 व 318/2064 रकबा 0.08 की आराजी अनुसूचित जाति के सदस्य के नाम दर्ज है। उक्त आराजी जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बेचान की है। प्रकरण में धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का उल्लंघन होने के कारण खातेदार व क्रेता का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नहीं रहा है। अतः उक्त आराजी सिवायचक दर्ज कर कब्जा राज लेने के आदेश न्यायहित में पारित किये जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु होने के कारण उसके वारिसान की सूचना तहसीलदार नसीराबाद से तलब की गयी। नायब तहसीलदार श्रीनगर, हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि विक्रेता छोटू पुत्र गोकुल की मृत्यु हो गयी है उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गयी है। अब उसके कोई जायन्दा वारिसान नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 2 ने बयान दर्ज करवाये जिसके अनुसार उसने स्वीकार किया है कि मेरे पिता बाला पुत्र बुद्धा ने दिनांक 09.09.69 को प्रतिवादी संख्या 1 व धूला पुत्र मोती से आराजी मुतनाजा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय की थी। उक्त जमीन पर कब्जा भी प्रतिवादी ने स्वयं का ही मा है। साथ ही यह भी स्वीकार किया है कि वाद संख्या 42/12 कल्याण बनाम छोटू खारिज किया जा चुका है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। राज0 पैरोकार व विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी की बहस पर मनन किया। चौसाला खसरा नम्बर 445 रकबा 2–14–0, 446 रकबा 2–14–0 व 447 रकबा 2–6–10 की आराजी में धुला पुत्र मोती जाति भांभी ने अपना 1/2 हिस्सा बाला पुत्र बुद्धा को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 8.10.69 को व उक्तज आराजी में अपना 1/2 हिस्सा छोटू पुत्र गोकल ने बाला पुत्र बुद्धा को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 02.02.1970 को बेचान कर दिया बाला पुत्र बुद्धा गुर्जर की मृत्यु हो गयी जिसका वारिस प्रतिवादी संख्या 2 है। उक्त विक्रयपत्र पंजीकृत है जिसकी सत्यता से इंकार नहीं किया जा सकता है। विक्रय के बाद उक्त आराजी पर विक्रेता/वारिसान के खातेदारी अधिकारों का अवसान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के तहत हो चुका है। उक्त आराजी अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बेचान की गयी है अत: प्रकरण में धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का उल्लंघन सिद्ध होता है। प्रतिवादी संख्या 2 ने भी अपने बयान में उक्त कथनों को स्वीकार किया है। हाजा न्यायालय द्वारा पूर्व में राजस्व वाद संख्या 42/2012 उनवान कल्याण बनाम छोटू में दिनांक 14.02.12 को प्रकरण का विस्तृत विवेचन कर वाद खारिज किया जा चुका है व तहसीलदार नसीराबाद को धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया था। जिसकी पालना में प्रश्नगत वाद पेश किया गया है। उक्तानुसार स्पष्ट होता है कि प्रकरण में धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का उल्लंघन हुआ है। आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर 318/2064 रकबा 0.08, 318 रकबा 1.17 प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज के नाम ही खातेदारी दर्ज है। जो अनुसूचित जाति के सदस्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.10.14 16:30:31 IST
Reason: SelfAttested

उक्तानुसार वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम रामपुरा अहिरान
खसरा नम्बर 318/2064 रकबा 0.08 व 318 रकबा 1.17 की आराजी सिवायचक दर्ज व
आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दर
की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.10.14 16:30:31 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

सरकार बनाम छोटू

धारा बाबत :– 175 रा.का.अधि 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर –61/16
पेश करने की दिनांक – 31.3.2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सरकार मुददई मौहम्मद जावेद मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम रामपुरा अहिरान के हाल खसरा नम्बर 318/2064 रकबा 0.08, व 318 रकबा 1.17 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावें। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 22 माह 9 सन् 2020 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.10.14 16:30:31 IST
Reason: SelfAttested